

प्रेस-नोट

जनपद-सुलतानपुर

दिनांक-14.01.2021

पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर डॉ० अरविन्द चतुर्वेदी द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत, अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर व समस्त क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में अवैध शस्त्रों/अवैध मादक पदार्थों/ शांतिर अपराधियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

थाना-कादीपुर

श्रीमान पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर महोदय के आदेश के अनुपालन में वांछित/संदिग्ध/ईनामिया अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी कादीपुर महोदय के निर्देशन में दिनांक 14/01/2021 को समय 10.50 बजे उ०नि० यादवेन्द्र सोनकर मय कर्मचारीगण के तलाश वांछित अभियुक्त व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त सुमित सिंह पुत्र अनिल सिंह को एक अदद देशी तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर के साथ पुलिस हिरासत में लिया गया। जिसके सम्बन्ध में मु०अ०सं० 40/21 अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधि० पंजीकृत है। अभि० उपरोक्त के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही की जा रही है।  
अभियुक्त -

1. सुमित सिंह उर्फ गोलु सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी सांगापुर थाना कादीपुर सुलतानपुर

बरामदगी—

- 1 अवैध तमन्चा , 1 जिन्दा कारतूस 303 बोर

आपराधिक इतिहास अभि० सुमित सिंह

1. मु०अ०सं०-411/18 धारा-307/506 भा०द०वि० कादीपुर
2. मु०अ०सं०-28/19 धारा-419/420/467/468/471 भा०द०वि० कादीपुर
3. मु०अ०सं०-29/19 धारा-3/25 आयुध अधि० कादीपुर
4. मु०अ०सं०-30/19 धारा-41/411/379भा०द०वि० कादीपुर
5. मु०अ०सं०-40/21 धारा-3/25 आयुध अधि० कादीपुर

पुलिस टीम -

1. उ०नि० यादवेन्द्र सोनकर
2. हे०का० बाजा यादव
3. का० शैलेश राजभर